संख्या- 54/2015/वे0आ0-2-865/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 15 सितम्बर,2015

विषय- डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में नॉन फंक्शनल वेतनमान की व्यवस्था को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में नॉन फंक्शनल वेतनमान की व्यवस्था को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैं:--

"राजकीय विभागों के फार्मेसिस्ट संवर्ग में उपलब्ध फार्मेसिस्ट के पद पर वेतनमान एवं नॉन फक्शनल वेतनमान भारत सरकार से समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये गये है। उक्त स्थिति में फार्मासिस्ट के पद पर नॉन फॅक्शनल वेतनमान का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-404/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 निर्गत होने की तिथि, 18 मार्च, 2011 से अनुमन्य कराया जाये।"

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-54/2015/वे0आ0-2-865(1)/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।